0/3क्र 23419/2025

1

न्यायालय – सौरभ गोस्वामी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर
जिला इंदौर, (म.प्र.)
(निर्णय दिनांक 16.05.2025)

Registration No. - RCT/8918168/2013
Filling No. - RCT9942/2013
C.N.R. No. - MP0901003573/2013
Filing Date - 12-05-2015

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना एरोड्रम
जिला इंदौर (म0प्र0)

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री त्रिलोक सावनेर, एडीपीओ

नरेन्द्र पिता अर्जुन प्रजापत
उम्र वर्तमान में लगभग–37 वर्ष पता–गोमती
नगर इंदौर म.प्र.

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री के.पी. माहेश्वरी अधिवक्ता

पुलिस थाना एरोड्रम इंदौर तहसील व जिला इन्दौर के अपराध कमांक–862/2012 अंतर्गत धारा– 25, 27 आर्म्स एक्ट से उद्भूत प्रकरण।

अपराध की तिथि	23.12.2012
प्र.सू.रि की तिथि	23.12.2012
आरोप पत्र की तिथि	08.08.2013
आरोपों के विरचना की तिथि	24.03.2014
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	13.05.2014

FOR COPYING FEES ONLY CANCELLED

(सौरभ गोस्वामी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

आवश्यक वस्तुयें–

श्रेणी	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01.	आर्टिकल ए–01 / अ.सा.05	एक देशी पिस्टल
02.	आर्टिकल बी–01 / अ0सा0–05	एक कारतूस
03.	आर्टिकल बी–02 / अ0सा0–05	एक कारतूस

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक–16.05.2025 को घोषित)

01. अभियुक्त नरेन्द्र पर आयुध अधिनियम की धारा– 25, 27 के अंतर्गत इस आशय का आरोप हैं कि, अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा दिनांक 23.12.2012 के 15.30 बजे आयडियल स्कूल वाली गली, संगम नगर के बगीचे के पास, इंदौर में सार्वजनिक स्थान पर अवैध तरीके से एक देशी पिस्टल एवं जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखकर अपराध कारित कर बगैर अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक स्थान में लोगो को भय कारित करने के आशय से जिन्दा कारतूस अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर अपराध कारित किया।

02. अभियोजन के द्वारा घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 23.12.2012 को थाने से हमराह स.उ.नि अनिल गौतम इलाका गस्त करता हुआ कालानी नगर रूकमणी नगर चौराहा पर पहुंचा. जहां पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि आयडियल स्कूल वाली गली संगम नगर बगीचे के पास नरेन्द्र नाम का व्यक्ति जिसने कथ्थाई रंग की जरकिन व निले रंग का पेंट पहन रखा है वो उसके हाथ में पिष्टल लेकर आयडियल स्कूल वाली गली संगम नगर बगीचे के पास कोई घटना करने के लिये खडा है है। सूचना पर विश्वास कर राहगिर पंचान महेश व आदित्य को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया बाद मुखबिर के बताये स्थान पर आईडियल स्कूल वाली गली बगिचे के पास पहुचें जहां मुखबिर की सूचना से अवगत कराया बाद मुखबीर के बताये स्थान पर पहुचे जहां मुखबिर द्वारा

16.5.25

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बताये हुये हुलिये का व्यक्ति उसके दाहीने हाथ में लोहे की पिस्टल लिये दिखा जो पुलिस को देख कर खिसकने लगा जिसे पंचान आदित्य व महेश की मदद से घेराबंदी कर पकडा व पिस्टल पुलिस कब्जे ली सूरक्षा बतौर पिस्टल की मेगजीन खोली उसमें 2 जिन्दा कारतूश मिले जो लोड हालत में थी जिसका नाम पता पूछा तो उसके उसका नाम नरेन्द्र पिता अर्जुन उम्र–26 साल, जाती प्रजापत, निवासी–गौमती नगर ईट भट्टा इंदौर का रहने वाला बताया तथा उक्त पिस्टल लोड हालत में लाने ले जाने व उसके पांस रखने का वैध लाईसेंस के बारे में पूछते लाईसेंस का होना नहीं बताया आरोपीं नरेन्द्र का यह कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय होने से समक्ष पंचान उक्त पिस्टल व जिन्दा कारतूस को गिरफ्तारी का कारण बताकर विधिवत गिरफ्तार किया बाद मय जप्ती माल मय फोर्स मय पंचान के थाना आया जप्ती माल जमा मालखाना एचसीएम फर्स्ट के सुपुर्द किया आरोपी को बंद हवालात किया वापसी पर आरोपी नरेन्द्र के विरूद्ध अपराध क्रमांक 862/2012 पर धारा 25, 27 आर्म्स अधिनियम का सिद्ध पाये जाने से प्रकरण में चालान कता किया गया जो वास्ते न्यायार्थ श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

03. अभियुक्त को निर्णय क. कंडिका कमाक–1 के अनुसार आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर विचारण की मॉग की, अभियुक्त ने अभियुक्त कथन में साक्षी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया है तथा प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

04. <u>प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :–</u>

01	अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा दिनांक 23.12.2012 के 15.30 बजे आयडियल स्कूल वाली गली, संगम नगर के बगीचे के पास, इंदौर में सार्वजनिक स्थान पर अवैध तरीके से एक देशी पिस्टल एवं जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखकर अपराध

FOR COPYING FEES ONLY TWO RUPEES INDIA

FOR COPYING FEES ONLY TWO RUPEES INDIA

16.5.25

(सौरभ गोस्वामी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

कारित किया?

02 अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर बगैर अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक स्थान में लोगो को भय कारित करने के आशय से जिन्दा कारतूस अवैध रूप से अपने आधिपत्य मे रखकर अपराध कारित किया?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

:: विचारणीय प्रश्न क0–01 एवं C2 का निराकरण

05. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रमबंधन व सम्यक् विवेचना करने एवं पुनरावृत्ति निवारित करने के आशय से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं पर एक साथ विचार किया जा रहा है।

06 विवेचक निहाल सिंह (अ.सा.–05) का कहना है कि वह दिनांक 23.12.2012 को पुलिस थाना एरोड्रम इंदौर पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह सहायक उपनिरीक्षक अनिल गौतम दोनो ईलाका भ्रमण करते कालानी नगर होते हुए रूकमणी नगर चौराहे पर पहुंचे, जहां पर जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो नीलें रंग का पेंट पहना था वह आईडियल स्कूल वाली गली बगीचे के पास संगम नगर, में अपने हाथ में लोहे का पिस्टल लेकर कोई घटना करने के लिए खडा है। मुखबिर की सूचना से अवकगत कराया गया। बाद पंचान तथा हमराह फोर्स अनिल गौतम के साथ आडियल स्कूल वाली गली, बगीचे के पास संगम नगर पहुंचा, जहां पर उक्त हुलिये का व्यक्ति अपने हाथ में पिस्टल लिये दिखा, जो पुलिस को देखकर खिसकने लगा, उसकी घेराबंदी कर पकडा गया व पिस्टल को कब्जे में लिया गया। सुरक्षा बतौर पिस्टल की मैगजीन को खोला व चेक किया, जिसके अंदर दो जिंदा कारतूस मिले। व्यक्ति का नाम पता पूछते उसने उसका नाम नरेन्द्र पिता अर्जुन निवासी–गोमती नगर का रहने वाला बताया तथा नरेन्द्र से पिस्टल के संबंध में लाईसेंस के बारे में पूछते उसने कोई लाईसेंस न होना बताया। आरोपी का उक्त अपराध अंतर्गत धारा 25,

16.5.25

के न्यायालय में रीडर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एडीएम श्री आलोक कुमार सिंह साहब ने कमांक 37/री/एडीएम/2013 दिनांक 03.04.2013 द्वारा पुलिस अधीक्षक पश्चिम, जिला इंदौर म.प्र. द्वारा थाना एरोड्रम इंदौर के अपराध कमांक 862/2012 अंतर्गत धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के आरोपी नरेन्द्र पिता अर्जुन प्रजापति उम्र–27 साल, निवासी–गोमती नगर ईट भट्टा इंदौर म.प्र. से एक 32 बोर पिस्टल फायर योग्य एवं दो जिंदा कारतूस बिना लाईसेंस के जप्त होने से आरोपी के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई थी, उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रपी 04 की है जिसके ए से ए भाग पर तात्कालीन एडीएम साहब श्री आलोक सिंह साहब के हस्ताक्षर हैं, उसने उसके साथ काम किया है, इस कारण से वह उनके हस्ताक्षर को भलीभांति पहचानता है।

11. साक्षी महेश (अ.सा. 01) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी नरेन्द्र पिता अर्जुन को नहीं जानता है। घटना कब की है उसे जानकारी नहीं है पुलिस ने उसके सामने क्या–क्या कार्यवाही की थी उसे याद नहीं है। यद्यपि जप्ती पंचनामा प्रपी 01 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी 02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे न ही पूछताछ की थी न ही उसके बयान लिये थे। साक्षी ने उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वालों प्रश्नों को पूछने पर उसने अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 23.12.2012 को वह उसके काम से बांगडा रोड गया था तो रूकमणी नगर चौराहे पर थानेदार सा. ने उसे बुलाया और बोले कि मुखबिर से सूचना मिली कि नरेन्द्र नाम का व्यक्ति संगम नगर आईडियल स्कूल वांली गली में बगीचे के पास पिस्टल लेकर खडा है जिसने कत्थई रंग की जरकीन व नीला पेंट पहन रखा है चलो उसे पकडते हैं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि तब वह और आदित्य

FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES
CANCELLED COPYING
FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES
CANCELLED COPYING

(सौरभ ...)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इन्दौर (म.प्र.)
16.5.25

दोनो थानेदार सा. के साथ मुखबिर के द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति उसके दायें हाथ में पिस्टल लिये दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि जिसे पुलिस ने घेरबंदी कर के पकडा व उसके कब्जे से पिस्टल कब्जे में ली पिस्टल की मेग्जीन खोली उसमें दो जिंदा कारतूस मिले थे जो लोड हालत में थे। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम नरेन्द्र पिता अर्जुन प्रजापत उम्र 26 साल बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 23.12.12 को आइडियल स्कूल वाली गली संगम नगर बगीचे के पास इंदौर में आरोपी नरेन्द्र के कब्जे से पुलिस ने उसके सामने एक लोहे की देशी पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस मेग्जीन में से निकालकर जप्त किये। साक्षी ने स्वतः कहा है कि पुलिस ने उससे हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी नरेन्द्र को पुलिस ने उसके सामने गिरफतार किया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी–03 का ए से ए भाग आज ....लिखा का बयान पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसी बात पुलिस को बताने से इंकार किया है। ।

12. प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जप्तीकर्ता विवेचक निहालसिंह (अ.सा.–05) ने घटना दिनांक को अभियुक्त से जप्त एक देशी पिस्टल व जिंदा करतूस को विधिवत चपडी से सीलबंद किये जाने के संबंध में लेशमात्र भी उल्लेख नहीं किया है। अभियोजन की ओर से अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही के संबंध में रोजनामचा सान्हा भी प्रमाणित नहीं कराया गया है अनुसंधान अधिकारी के द्वारा मौके पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में रोजनामचा सान्हा संलग्न नहीं किया है। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा <u>बल्देव बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2008 सी.एल.आर. 630 म.प्र.</u> में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस थाना से संबंधित स्थान पर जाने के संबंध में संबंतिध रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि व पुलिस अधिकारियों के वापस पुलिस स्टेशन आने के संबंध में संबंधित

16.5.25

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

रोजनामचा सान्हा प्रविष्टि का साक्ष्य होता है। अतः साक्ष्य में न्यायालय में प्रस्तुत न करने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

13. अनुसंधान अधिकारी निहालसिंह (अ.सा.–05) के द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी उल्लेख नही किया गया है कि एक देशी पिस्टल एवं जिंदा करतूस को जप्त करने के पश्चात् थाने के मालखाने में किस जगह पर रखा गया। जप्तशुदा एक देशी पिस्टल एवं जिंदा करतूस को मालखाने में जना करने के संबंध में प्रविष्टि का जप्तशुदा मालखाना रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभियोग पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि जप्तशुदा आयुध को किस मालखाना नंबर पर रखा गया है। जबकि किसी भी प्रकरण में जब कोई संपत्ति किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्त की जाती है तो उसे थाने के मालखाना रजिस्टर में इंद्राज किया जाता है, यदि जप्तशुदा माल को जप्ती के पश्चात् उचित स्थान पर रखने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह तथ्य अभियोजन के मामले को संदेहास्पद करता है और इस संबंध में मालखाने के एच.सी.एम. का भी कोई कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है।

14. अभियोजन द्वारा कोई सील नमूना भी पृथक से प्रस्तुत नहीं किया गया है जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 पर भी कोई सील नमूना अंकित नहीं है और यह भी लेख नहीं है कि जप्तशुदा एक देशी पिस्टल एवं जिंदा करतूस को मौके पर विधिवत् सीलबंद किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत <u>साहिब सिंह विरूद्ध पंजाब राज्य ए.आई.आर 1997 एस. सी 2417</u> भी अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा जहां जप्ती स्थल के आसपड़ोस के स्वतंत्र साक्षियों को जप्ती का साक्षी बनाने का प्रयास न किया गया हो, जप्तशुदा आर्टिकल को सीलबंद न किया गया हो, इस बारे में कोई साक्ष्य न दी गयी हो कि जप्ती के उपरांत जप्तशुदा आर्टिकल उसे जांच हेतु भेजे जाने के

FOR COPYING FEES ONLY
COPYING CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY
COPYING CANCELLED

पूर्व किस व्यक्ति के पास रहा था, वहां अभियुक्त संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्ति का अधिकारी हो जाता है, उक्त सभी परिस्थितियां वर्तमान मामले में भी प्रकट हो रही हैं।

15. इस प्रकार जप्तीकर्ता द्वारा जप्तशुदा संपत्ति मौके पर विधिवत् सीलबंद न करने से एवं उस पर चपडी एवं सील अंकित न किए जाने के कारण जप्तशुदा सामग्री के बदल दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह अनुसंधान कार्यवाही का ऐसा लोप है जो अपने आप में ही अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आलोक में अभियोजन साक्ष्य अभियुक्त नरेंन्द्र से कोई जप्ती की कार्यवाही न होने के आलोक में एवं साक्ष्य में आई तात्विक बिंदुओं पर विसंगितयों व विरोधाभासों के आधार पर अभियोजन अपना पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

16. आपराधिक मामलों का यह मूलभूत सिद्धांत है कि सिद्धिभार अभियोजन पर होता है जिसे उसे प्रमाणित करना होता है। जब तक अभियोजन अपना सिद्धिभार उन्मोचित नहीं कर देता है तब तक अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह अपने बचाव को संभावित करे। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत <u>कैलाश गौर विरूद्ध असम राज्य (2012) 2 एस.सी. 34</u> में प्रतिपादित यह विधि अनुसरणीय है कि– "Accused is presumed to be innocent till he is proved to be guilty. Suspicion howsoever strong can never take place of proof. There is indeed a long distance between accused 'may have committed the offence' and 'must have committed the offence' which must be traversed by the prosecution by adducing reliable evidence." हस्तगत मामले में अभिलेख पर जो साक्ष्य

16.5.25

(सारंग गोस्वामी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
इन्दौर (म.प्र.)

प्रस्तुत की गई है वह अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के सिद्धिभार को उन्मोचित करने हेतु पर्याप्त नही है। तदनुसार उक्त विचारणीय प्रश्न युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं।

17. अभियोजन को अपना सम्पूर्ण मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। अभियुक्त के विरूद्ध कितना भी प्रबल संदेह हो, प्रबल नैतिक विश्वास हो, परन्तु जब तक वैध साक्ष्य तथा अभिलेख की विषय वस्तु के आधार पर युक्ति युक्त शंका के परे दोषारोप सिद्ध नहीं होता तब तक उसे दण्डित नहीं किया जा सकता है। किसी भी दाण्डिक विचारण में मामंले के तथ्य और परिस्थितियां कितना ही पेचीदा क्यों न हो, क्योंकि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये और सबूत के अपेक्षा को कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उपरोक्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत अभिलेख के परिशीलन और विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

18. फलतः की गई संपूर्ण साक्ष्य' की विवेचना उपरांत अभियोजन युक्ति युक्त संदेह से परे यह प्रमाण्ति करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 23.12.2012 के 15.30 बजे आयडियल स्कूल वाली गली, संगम नगर के बगीचे के पास, इंदौर में सार्वजनिक स्थान पर अवैध तरीके से एक देशी पिस्टल एवं जिन्दा कारतूस अपने आधिपत्य में रखकर अपराध कारित किया तथा अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा बगैर अनुज्ञप्ति के सार्वजनिक स्थान में लोगो को भय कारित करने के आशय से जिन्दा कारतूस अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर अपराध कारित किया?

19. अतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत अभियुक्त **नरेन्द्र पिता अर्जुन प्रजापत उम्र वर्तमान में लगभग–37 वर्ष पता–गोमती नगर इंदौर म.प्र. को** <u>को आयुध अधिनियम की धारा</u> **25, 27 आर्म्स एक्ट <u>के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र</u>**

Sd/- 16.5.25

किया जाता है।

20. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति पत्र एवं बंधपत्र भारहीन किए जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा एक देशी पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

22. अभियुक्त के अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में रहने संबंधी प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 द.प्र.सं. पृथक से बनाया जाए।

23. सदर प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

16.5.25

(सौरभ गोस्वामी)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इन्दौर (म0प्र0)

16.5.25

(सौरभ गोस्वामी)
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
इन्दौर (म0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान लिपिक, प्रतिलिपि अनुविभाग
कार्यालय जिला एव सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)
धारा 76 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

6706 23497/2025

20/5/25	21/5/25	21-5-25	21/5/25	/	/	/	/	21/5/25	21-5-25	28)

Copyist